न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपील संख्या 383 / 2024

उनवान प्रकरण–राजेन्द्र पुरी बनाम राज0 राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार लोहावट

निर्णय दिनांक 13.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत अपीलांट ने जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील सं. 01/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त इस प्रकार है कि तहसीलदार लोहावट द्वारा मु0न0 57/2023 अंतर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत ग्राम लोहावट जाटावास स्थित ख.नं 433 व 434 किस्म गै0मु0 राजकीय भूमि के 0.32 बीघा भू–भाग पर राजेन्द्र पुरी द्वारा अतिकमण कर दुकाने बनाने संबंधी हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्रकरण में अतिकमी को मौके से बेदखल करने का निर्णय दिनांक 07.07.2023 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील सं0 01/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आरएलआर एक्ट की धारा 76 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपील के साथ अपीलाधीन आदेश एवं तहसीलदार लोहावट में दर्ज मु0नं0 57/2023 की सत्यापित प्रतिया प्रस्तुत की गई, जिससे मूल रेकर्ड का अवलोकन करना उचित नही समझा गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का अपील मीमों मे उल्लेखित तथ्यों के अनुसार मुख्यतः यह कथन है कि ख0नं0 433 गै0मु0 भूमि है, जिस पर ग्रा0पं0 द्वारा दिनांक 19.12.2009 को 1350 वर्गफुट का पट्टा अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया हुआ है व उस पर निर्माण किया हुआ है। माप व सीमांकन के बिना उसे अतिकमी नही माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं ग्रा0पं0 की रिपोर्ट तलब नही ली गई। मौके पर किसी तरह का अतिकमण नही है। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में ग्रा0पं0 लोहावट बी.बी. द्वारा जारी आबादी भूमि का विकय विलेख दिनांक 19.12.2009 पट्टा संख्या 6 की छाया प्रति पेश की गई। अंत में अपील स्वीकार कर दोनों ही अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अपीलांट के पक्ष में ग्रा0पं0 लोहावट बी.बी. द्वारा जारी आबादी भूमि का विकय विलेख दिनाक 19.12.2009 पट्टा संख्या 6 की जांच के उपरांत तहसीलदार लोहावट द्वारा आरएलआर एक्ट की धारा 91 के तहत पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा रा0अ0सं0 01/2024 में पारित निर्णय दिनाक 28.8.24 एवं तहसीलदार लोहावट द्वारा मु.न. 57/2023 मे पारित निर्णय दिनांक 7.7.23 को अपास्त करते हुए उक्त प्रकरण तहसीलदार लोहावट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट के पक्ष मे ग्रा0पं0 लोहावट बी.बी. पं0स0 फलौदी (जोधपुर) द्वारा जारी आबादी भूमि का विकय विलेख दिनांक 19.12.2009 पट्टा संख्या 6 मिसल संख्या 111/09–10 की रेकर्डेड जांच के उपरांत आरएलआर एक्ट की धारा 91 के तहत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर फैसल शुमार की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावें। निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अजीत सिंह
13.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर